Helpline No:- +91 7597122440

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड, जयपुर (राज.) - 302026

वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 -2850551–75

क्रमांक : प( )/जरारासंविवि/सा0प्र0/20/ दिनांक :–

सीमित बोली सूचना संख्या–02

बोली शर्तें – 'ख'

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुये बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण उपापन संस्था द्वारा मांगा जा सकेगा।
4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
5. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों को मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा।
6. संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालन की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निवर्हन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
7. श्रम विधि के अन्तर्गत नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
8. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का उचित प्रकार से निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

	sufficient speed of typing in Hindi and English.
2. कुली सह सहायक	1. शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति जो निर्देशित परीक्षा सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग के साथ अन्य निर्देशित कार्य कर सके। 2. सामान्य रूप से पढ़ा लिखा हो।

7. बोली शर्तें हस्ताक्षर सहित संलग्न है।
8. सभी प्रपत्रों क, ख, ग, घ में बोलीदाता द्वारा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करने होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम .....
पता .....
.....
दूरभाष व मोबाईल नं. .....
पैन नं .....
जी.एस.टी. नं. .....
ई.मेलः– .....

9. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
10. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती हैं तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
11. प्रस्तावक फर्म/प्रतिष्ठान/पंजीकृत ठेकेदार का श्रम विभाग/श्रम अधिनियम के अन्तर्गत संलग्न सूची में वर्णित विषय वस्तु हेतु पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसका प्रमाण निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
12. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. दरें स्याही/टंकण द्वारा स्पष्ट रूप से अंको तथा शब्दों में लिखे दरों के ऊपरी लेख की स्थिति में निविदादाताओं को ऊपरी लेखन पर लघु हस्ताक्षर करने अनिवार्य है।
14. मोहरबंद निविदाऐं दिनांक 14.10.2020 को दोपहर 01.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
15. प्राप्त निविदाऐं दिनांक 14.10.2020 को सांय 03.00 बजे तक कुलसचिव कक्ष में समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
16. ठेके की अवधि में लागू सभी राज्य/केन्द्र सरकार के कानूनो (संशोधन सहित) के पालन करने का दायित्व निविदादाता का होगा।
17. बिल पर नियमानुसार आयकर/GST काटा जायेगा।
18. दरें सभी करों राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये/भविष्य में लगाये जाने वाले कर सहित होगी।
19. निविदादाता ठेके का सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग किसी अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित नहीं कर सकेगा।
20. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य निष्पादन की अवधि में किसी व्यक्ति की मृत्यु/दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
21. संस्थान, न्यूनतम दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। **गुणवत्ता/प्रतिष्ठा/कार्य** के अनुभव के आधार पर उच्च दर वाली निविदा को स्वीकार करने का अधिकार उपापन संस्था को होगा।
22. यदि निविदादाता संतोषप्रद कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को 07 दिवस का नोटिस देकर कभी भी निविदा कार्य को समाप्त किया जा सकता है।
23. निविदादाता के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के भुगतान आदि बाबत शिकायत पर उपापन संस्था के पास संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में ठेकेदार का भुगतान रोका जा सकता है।
24. कार्य संस्था की संतुष्टि के अनुसार करना होगा। संतोषजनक कार्य न होने की दशा में अथवा कर्मी (संस्थान कार्य) के अनुपस्थित रहने पर निविदादाता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर अनुपातिक दर से राशि काटी जायेगी। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।
25. कार्य आदेश जारी होने के 07 दिवस/आदेश में अंकित तिथि से कार्य शुरू करना होगा।